राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः प. /मुसप्र/कर्मचारी संघ/समझौता/2012/3182 दिनांकः-20-11-12

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के आवंटन पत्रों में यह शर्त उल्लेखित की गयी है कि इन संस्थाओं में मण्डल कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण एवं शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी, किन्तु प्रायः यह देखने में यह आया है कि अधिकांश संस्थाओं द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं की जा रहीं है। अतः उक्त की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवासन मण्डल के निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती हैः-

1. सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त।
2. सम्बन्धित आवासीय अभियंता।
3. वृत कार्यालय में कार्यरत राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधी।

उक्त समिति शैक्षणिक संस्थाओं को उक्त निर्देशित शर्त की पालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित संस्था से आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायेगी यदि किसी संस्था द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं की जा रही है तो इस सम्बन्ध में यह समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में प्रस्तुत की जायेगी।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2 वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
3 वरिष्ठ निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. जयपुर।
5 उप आवासन आयुक्त, वृत .... रा.आ.म. ....।
6 आवासीय अभियंता, खण्ड .... रा.आ.म. ....।
7 प्रांतीय महा सचिव, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
8 जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9 एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब साइट पर डालने तथा सभी वृत कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
10 रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक